राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2035/2024

मेघा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, राजस्व विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. रजिस्ट्रार, राजस्व मंडल, अजमेर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.06.2024
आदेश की दिनांक : 04.07.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में तहसीलदार के पद पर मालाखेडा, जिला अलवर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 10.03.2024 के द्वारा अपीलार्थी को तहसीलदार राजस्व आसूचना निदेशालय, जयपुर से तहसीलदार मालाखेडा, जिला अलवर रिक्त पद पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया और अपीलार्थी को तीन माह में दो बार स्थानान्तरण किया जा चुका है और उक्त स्थानान्तरण आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 16.03.2024 को मालाखेडा, अलवर कार्यग्रहण किया और आलोच्य आदेश

दिनांक 10.06.2024 के द्वारा उसे आदेशों की प्रतीक्षा में कर दिया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी को नियम विरूद्ध आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। जबकि राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 25ए के अंतर्गत निम्न कारणों को दर्शाते हुये आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जा सकता है :–

"1. On return from leave.
2. On reversion to parent department from deputation within India.
3. On return from abroad after completion of training or foreign assignment.
4. On return from training within India.
5. Awaiting posting order after making over charge of the old post under the directions of Appointing Authority.
6. Non-Acceptance of the officer on transfer to another post.
7. To save a Government servant from reversion."

आलोच्य आदेश में उपरोक्त में से कोई भी कारण नहीं दर्शाया गया है और इस प्रकार अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जाना उक्त सेवा नियमों के विपरीत है। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि उक्त एपीओ आलोच्य आदेश राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण आदि पर पूर्ण रूप से लगाये गये प्रतिबंध के बावजूद प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है और उक्त आलोच्य आदेश में उच्च स्तर पर कोई अनुमोदन होने का उल्लेख भी नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त आलोच्य आदेश राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों के विपरीत जाकर जारी किया गया है, जो विधि एवं नियमों के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 10.06.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 10.03.2024 के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान जयपुर से मालाखेडा, अलवर किया गया है। कार्यालय मंत्री, राजस्व एवं उप निवेशन विभाग के आशा.टी. क्रमांक 1033 दिनांक 10.06.2024 के द्वारा अपीलार्थी को तत्काल एपीओ कर अवगत कराने हेतु लिखा है, जिसके क्रम में आदेश क्रमांक 4137 दिनांक 10.06.2024 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जाकर मुख्यालय राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में तहसीलदार के पद पर मालाखेडा, जिला अलवर में कार्यरत है। आदेश दिनांक 10.03.2024 के द्वारा अपीलार्थी को तहसीलदार राजस्व आसूचना निदेशालय, जयपुर से तहसीलदार मालाखेडा, जिला अलवर रिक्त पद पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया और अपीलार्थी ने दिनांक 16.03.2024 को मालाखेडा, अलवर कार्यग्रहण किया परंतु आलोच्य आदेश दिनांक 10.06.2024 के द्वारा उसे आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर निर्धारित किया गया। जहां तक अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश दिनांक 10.06.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने का कोई कारण उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 25क के अंतर्गत निम्न परिस्थितियों में आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने का प्रावधान किया गया है :–

''सामान्यतः निम्न परिस्थितियों में राज्य कर्मचारियों को आवश्यक तौर पर पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जाता है :–

(1) अवकाश से लौटने पर।
(2) भारत के भीतर प्रतिनियुक्ति से अपने पैतृक विभाग में प्रत्यावर्तन पर।
(3) प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद या विदेशी कर्त्तव्यभार पूरा करने के बाद बाहर से वापिस लौटने पर।
(4) भारत के भीतर ही प्रशिक्षण से वापिस लौटने पर।
(5) नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी के निर्देश पर पुराने पद का चार्ज देने पर पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा करना।
(6) दूसरे पद पर स्थानान्तरण होने पर अधिकारी को स्वीकार नहीं करना।
(7) राज्य कर्मचारी को पदावनति से बचाने के लिए।''

इस प्रकार उक्त नियमों के आधार पर आलोच्य आदेश में ऐसा कोई कारण का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि आलोच्य एपीओ आदेश उक्त नियम के अंतर्गत जारी किया गया हो। अतः उक्त आलोच्य आदेश उक्त नियमों के विपरीत जाकर जारी किया गया है।

आलोच्य एपीओ आदेश दिनांक 10.06.2024 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आदेश में उच्च स्तर पर अनुमोदन होने का कोई उल्लेख भी नहीं किया गया है। चूंकि वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण आदि पर पूर्ण रूप से

प्रतिबंध लगाया गया है और पूर्ण रूप से प्रतिबंध के बावजूद अपीलार्थी को एपीओ करते हुये आदेश जारी किया गया है। जबकि प्रतिबंध के दौरान स्थानान्तरण आदि आदेश जारी करने हेतु उच्च स्तर पर अनुमोदन (माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर का अनुमोदन) होना आवश्यक है, परंतु अनुमोदन के संबंध में न ही प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब में उल्लेख किया गया है और न ही आलोच्य आदेश में उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि आलोच्य एपीओ आदेश पूर्ण प्रतिबंध के दौरान बिना अनुमोदन के ही जारी किया गया है, जो राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों के विपरीत है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा आलोच्य एपीओ आदेश दिनांक 10.06.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य